न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 39 / 2018 राजस्व वाद

1. श्री धन्ना लाल पिता छितर कुमावत आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. बालु पिता नन्दा कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. पानी पुत्री नन्दा कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. केली पुत्री नन्दा कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. हिरी पुत्री नन्दा कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. कानी पुत्री नाथु कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. लेहरी पुत्री नाथु कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. जमनी पुत्री नाथु कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. श्री मति अणछी पत्नि नाथु कुमावत आयु आयु वयस्क निवासी– छापरिया खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

फोटो स्टेट प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन, —अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय– —प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08
3. पेरोकार सरकार —पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 09

दिनांक–21 / 11 / 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:37:56 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन [illegible] राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर [illegible] बेमाली के खाता संख्या 413 में [illegible] आराजी वादी कर संवत 2073 से 2076 अनुसार ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली के खाता संख्या 413 [illegible] से दर्ज रेकार्ड़ है। शाम[illegible]ने से मौके पर एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

सैदव मेड़ पाली की घास काटने तथा खेत की हकाई , चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण 01 से 08 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर प्रारंभिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री जारी की गई। प्रारंभिक डिक्री की पालना में तहसीलदार करेडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किए गए जिसे शामिल फाईल किया गया व वादी अधिवकता की बहस सुनी गई। प्राप्त विभाजन पर वादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति जताई। तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार करेडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

ग्राम बैमाली पटवार हल्का बैमाली के खाता संख्या 413 में अंकित आराजी नंबर 3856/762 कुल किता 01 रकबा 0.4426 हैक्टयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है –

(क) खातेदार का नाम– वादी– धन्नालाल पिता छितर कुमावत सा0देह छापरिया खेडा –।

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा
1	3856/762/1	0.1650 हैक्टयर
	3856/762/5	0.0533 हैक्टयर
योग	कुल किता 02	0.2183 हैक्टयर

(ख) खातेदारान– प्रतिवादी– बालु पिता नन्दा ,पानी, केली, हीरी, पुत्रीया नन्दा1/2 कानी, लेहरी, जमना, पुत्रीया नाथु, अणछी पत्नि नाथ कुमावत 1/2 सा0 देह छापरिया का खेडा

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा
1	3856/762/3	0.0413 हैक्टयर
2	3856/762/4	0.0216 हैक्टयर
3	3856/762/6	0.1554 हैक्टयर
योग	कुल किता 03	0.2183 हैक्टयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:07:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

(ग) खातेदारान– प्रतिवादी– धन्ना लाल पिता छितर 1/2 बालु लाल पिता नन्दा ,पानी, केली, हिरी, पुत्रीया नन्दा 1/4, कानी ,लेहरी, जमना , पुत्रीया नाथु, अणछि पत्नि नाथु कुमावत 1/4 सा0 देह छापरिया का खेडा

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा
1	3856/762/2	0.0060 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.0060 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:07:56 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा